



DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together
And Achive Dream
Together

Dr Surendra Dhiwa

Educator

(Law | Public administration and management)

(Polity and IR | Audit and Accounting)



धारा 221



परिसर के स्वामी को अत्य व्यक्तियों की
भूमि में होकर पाइप लगाने और नाली रखने की
शक्ति →

धारा 224



दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात मुख्य
नगरपालिका अधिकारी की कार्य निष्पादित
करने की शक्ति →

दायी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित निर्धारित समय में कार्य
निष्पादित नहीं करने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी
भी करवा सेवेका। =>

उपगत व्यय

↓
दायी व्यक्ति *

संभावित सुविधा => उपगत व्यय => जिन व्यक्तियों को लाभ होगा

✓
धारा 223 ⇒ कार्य का अनुसंधानकारी एलएलएर द्वारा
किया जाना →

↓
नगरपालिका, किसी योग्यता प्राप्त व्यक्ति को
अनुसंधान प्रदान करती है।

↓
अनुसंधानकारी (licenced) द्वारा ही कार्य निष्पादित
करवाया जाएगा।

धारा 224 ⇒ कृतिपय कार्यों का प्रतिषेध (Prohibition)—

- (i) नगरपालिका हेतु कार्य करने वाले व्यक्ति को बाधा नहीं पहुँचायी
- (ii) नगरपालिका से संबंधित ताले, सॉक, वाल्व, मीटर, पाइप प्रत्येक उपकरणों से जानबूझकर/उपेक्षापूर्वक तोड़ना/हानि पहुँचाना
- (iii) नगरपालिका से संबंधित जलसंकर्म या जल आपूर्ति से जुवाह। पलरा को बाधित करना
- (iv) मजनाही संकर्म " " "

(v) नगरपाली की नाली / मलनाली में एलास्टिक बॉली,
सूझा। प्लास्टिक ले संबंधित अपशिष्ट X

(vi) निरीक्षण कार्य में बाधा नहीं

(vii) जल संपर्क में स्नान नहीं / पशुओं को धोना नहीं /
सूझा-सूझा नहीं / गंदगी / डीयड X

ऐसा कोई भी कार्य नहीं मिले यह जल शुद्ध
होना हो

✓
[धारा 225] ⇒ मलबारी संकर्मों के पुनर्निर्माण और रखरखाव
को सौंपा जाता और मलबहन प्रभारों का
खिल खनाना और उनका संग्रहण →

नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से उपरोक्त
कार्य किसी प्राधिकरण या किसी डाइरेक्ट प्राधिकरण
को सौंप रहेगी।

धारा 221

⇒ ठोस अपशिष्ट प्रबंध और उनके हस्तन (Handling) के संबंध में नगरपालिका के कर्तव्य →

↓

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 उपा उपखंड 21 श्रियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंध तथा उनके व्ययन (disposal) के लिए, आवसंयना के विकास के लिए बनार गार नियमों

के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी।

या तो स्वयं | या इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

द्वारा →

(i) होल अपरिशिट संग्रहण →

(ii) होटल | कॉम्प्लेक्स | Commercial | गैरी बस्तियाँ
आदि ने अपरिशिट संग्रहण उपाय

(iii) संग्रहीत अपरिशिट को नियमित अंतराल पर
लभ्यता हेतु देखा।

Bio degradable (जैव-व्याघ्रासन) योग्य अपशिष्टों का
(जैव निम्नीकृत)

पर्यावरणीय रूप से स्विकार्य रीति से उपयोग करने
की व्यवस्था करेगी।

धारा 227 ⇒ ठोस अपशिष्टों का प्रबंध और हस्तन और
बिज बर्तने तथा प्रसारों के संग्रह का
संस्थापना जाना →


धारा 228 ⇒ ठोस प्रपत्रिष्ठों का नगरपालिका
की संपत्ति होना →

↓
नगरपालिका जैसे उच्चत समझे, जैसे इतका
व्ययन करेगी।

धारा 229 ⇒ ठोस प्रपत्रिष्ठों के व्ययन के लिए स्थान
नियत करना → (नगरपालिका द्वारा)

धारा 230 ⇒ प्लास्टिकों के स्वामियों और अधिकारियों का जेब अपशिष्ट के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण करने का कर्तव्य →

- ① नियमित सफाई व झाड़ू
- ② विभिन्न अपशिष्टों हेतु ट्यूब-2 पात्र
- ③ पात्रों को अच्छी दशा में तथा
• अवस्थित



धारा 231

सहकारी भागलन खोलायती, अपार्टमेन्ट स्वाधी
संगम भादि का कर्तव्य →

धारा 232

उतिषेध (Restriction)
↓

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

धारा 233

मार्गों को गंदा करते और कोर्र होत
अपरिशुत जमा करते या फेंकने के लिए दंड →

↓
माकें पर ही 500/- 2 सालि.

धारा 234

⇒ जैव चिकित्सा अपरिशुत (Biomedical waste)

धारा 235

परिसंक्रम्य अपशिष्ट
(Hazardous waste) →

↓
[इनके प्रबंध और हस्तान्तरण का विनियमित
कानून है]

नगर पालिका का कर्तव्य →

धारा 236

मनिय बहिर्गत भागों के लिए प्रवृत्ति

आवश्यक है -

↓

[आतायात बहुलता व लोकसुविधा को ध्यान में रखते हुए]

अवृत्ति देती है

उत्प्रेषण ⇒ 5000-10000/-

⇒ 50-100/- प्रतिदिन

धारा 237 ⇒ वर्षा जल के लिए डोंगी (troughs)
और पारप →

↓
[मार्ग से जान वाले लोगों पर जानी न गिरे वहां
मार्ग को नुकसान न पहुंचाएँ]

जुर्माना - 1500-2000/-

धारा 298 \Rightarrow वर्षा पत्र संग्रहण लक्ष्यता का उपबंध \rightarrow

2010 में प्रो. राज

300 किलोमीटर से बड़े भूखण्ड

\rightarrow (i) अनुसूचा (निर्माण) X

(ii) पूर्णतः प्रमाण पत्र X

(iii) आपाधिकृत विकास

(iv) लोक जन दाय प्रणाली \rightarrow से इन्फ्रेशन X

जुमाना $\Rightarrow 25000 - 100000/-$ + कारावाला 7 दिन रु

धारा 238 क \Rightarrow पारकिना स्थान का उपलब्ध \rightarrow

$25000 - 100000/-$ जुमाना

धारा 239 ⇒ मकानों पर छेकट प्रादि लगाना →

धारा 240 ⇒ मार्गों का नाम रखना और मकानों का
संख्यांकन करना →

लेट लगानेगी

स्वर्चा ⇒ मकान का स्वामी

1500-2000/- छेड छड पर जुर्माना

THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

www.drgenius.academy.com

